न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
19/21	एफएसएस एक्ट, 2006	30/11/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री हुचीलाल गुप्ता उम्र लगभग 70 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक)–फर्म–सीताराम कैलाशचन्द्र पुरानी अनाजमण्डी के पीछे ,गुडगली के पास, गंगापुर सिटी निवासी विनायक वाटिका के पीछे, शुक्ला कॉलोनी नहर रोड गंगापुर सिटी ।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 21.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 23.03.2021 को लगभग 01:25 पी.एम. पर दौराने गश्त फर्म–सीताराम कैलाशचन्द्र पुरानी अनाजमण्डी के पीछे ,गुडगली के पास, गंगापुर सिटी पर मो0 असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के साथ पहुचॉ। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम गिर्राज प्रसाद गुप्ता पुत्र हुचीलाल गुप्ता बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। गिर्राज प्रसाद गुप्ता अपनी दुकान पर घी,तेल ,वनस्पती व अन्य खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य वस्तु घी (महान ब्राण्ड) एक लीटर पैक के चार पैकिटों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक से उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य वस्तु घी (महान ब्राण्ड) एक लीटर पैक के पैकिटों का शुद्धता एवं लेबल की जांच नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक द्वारा खाद्य वस्तु घी (महान ब्राण्ड) एक लीटर पैक 4 पैकिट शुद्धता एवं लेबल की जांच की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 1520/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

की दो प्रतियॉ एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा मौ0 असलग वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 24.03.2021 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो पैकिट भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2021/766 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/464/एक्ट/2021/534 दिनांक 01.04.2021 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य वस्तु घी (महान ब्राण्ड) अवमानक एवं मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट से विकेता सन्तुष्ट नहीं होने के कारण दूसरे भाग की रैफरल प्रयोगशाला मैसूर में जांच करवाने बाबत् नमूना रैफरल प्रयोगशाला पूणे भिजवाया। डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2021/1662 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की उक्त नमूने की निदेशक, रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 **RFL/DO/317/21446/2021** दिनांक 30.06.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (महान ब्राण्ड) अवमानक प्रकृति का पाया गया।

जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) व (V) का उल्लधंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 व 58 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की उक्त नमूने की निदेशक, रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 **RFL/DO/317/21446/2021** दिनांक 30.06.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (महान ब्राण्ड) अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) व (V) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 व 58 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा निरक्षण विधि के अनुसार नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों में हस्ताक्षर करवाये है। ना हि आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ कय का कोई मूल्य अभियुक्त को चुकाया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त के सामने ना तो सील बन्द किया है ना हि शिशियों में भरा है। अभियुक्त की गैर मौजूदगी में गलत तरीके से उक्त कार्यवाही की गयी है। उक्त खाद्य वस्तु फर्म पर विकय हेतु नहीं थे। आवदेक द्वारा अभियुक्त को डरा कर उक्त पैकिटों को उठाया गया है। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही में कई नियमों की अवहेलना की है। इस कारण उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

पत्रावली मे संलग्न निदेशक रैफरल प्रयोगशाला पुणे की उक्त नमूने की निदेशक, रैफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 **RFL/DO/317/21446/2021** दिनांक 30.06.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (महान ब्राण्ड) अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय करने का दोषी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

पाया गया है, उक्त प्रकरण में अभियुक्त के वकील ने आवेदक द्वारा खाली कागजों में हस्ताक्षर करवाना एवं नमूना आवेदक की गैर मौजूदगी में सील बन्द किया जाना तथा उक्त खाद्य वस्तु फर्म पर विक्रय हेतु नहीं रखना अवगत कराया है। जबकि पत्रावली में संलग्न दस्तावेज फर्द मौका रिपोर्ट ,प्रपत्र 5 ए में आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर मय गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती हैं।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...21.08.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी